राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्ता का नाम
1.	1521 / 2016	बनवारी लाल राजौरा	1. रास्थान राज्य जरिये उप शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, झालावाड, जिला झालावाड।	श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी
2.	1522 / 2016	राजेन्द्र कुमार पाटीदार		
3.	1520 / 2016	राजेन्द्र कुमार वैष्णव		

आदेश की दिनांक : 03.09.2024

<u>उपस्थित –</u>
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से न्यायहित में अपील संख्या 1521/2016 बनवारी लाल राजौरा बनाम रास्थान राज्य की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, समस्त अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

2. अपील संख्या 1521/2016 में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पंचायत समिति झालरापाटन, जिला झालावाड द्वारा आदेश दिनांक 13.07.1987 से अस्थायी तौर पर की गयी थी। अपीलार्थी को पंचायत समिति द्वारा आदेश दिनांक 04.10.1990 के द्वारा दिनांक 03.10.1988 से स्थायी किया गया था। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति की दिनांक 20.07.1987 से सेवा की गणना करते हुए प्रदान किया गया है। द्वितीय चयनित वेतनमान का भी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 20.07.1987 से सेवा की गणना करते हुए प्रदान किया गया है। अपीलार्थी को वरिष्ठता भी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 20.07.1987 से सेवा की गणना करते हुए दी गयी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवा की गणना करते हुए नहीं दिया जा रहा है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

"1. It is, therefore, humbly prayer that your lordship may graciously be pleased to accept and allow this appeal and call for entire record relating to the case and after examining the same; and the respondents be directed to count his service from the date of initial appointment ie. 20.7.1987 for granting the benefit of third selection grade / ACP-III and the petitioner may be granted third selection grade/ACP-III benefit 27 years services w.e.f. 20.7.2014 in consequence arrears also be granted of 9% P.A.with all consequential benefit and heavy cost may be awarded to the appellant

2. That the respondents may kindly be further direct to make necessary fixations in the pay scale after granting the benefit of selection grade in the aforesaid manner and difference of amount may be paid to the appellant within stipuled time prescribed by the Hon'ble Court.

3. Any other order or direction which may be considered just and proper in the facts and circumstances of the case may be passed in favour of the appellant."

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि FD Rules Order no-f 16(2) Rules/98 दिनांक– 29.06.2009 के द्वारा चयनित वेतनमान ग्रेड एक कार्मिक की अवधि की गणना नियमित नियुक्ति दिनांक से देय होगी। तत्पश्चात FD Rules Memorandum No.F-14(88)FD(Rules)/2008 दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या–7 (i) (ii) में पुनः स्पष्ट किया गया है कि नियमित सेवा से तात्पर्य चयन प्रक्रिया से भर्ती किये गये नियमित नियुक्ति से है न कि urgent Temporary/adhoc basis पर यह सेवाएँ चयनित वेतनमान एसीपी गणना हेतू गणना योग्य नहीं होगी। Direct entry grade पद चयन प्रक्रिया से नियमित नियुक्ति से है। FD Rules Order no.F16 (2) FD Rules/98 दिनांक 20.08.2010 भी उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति तिथि से 9, 18 व 27 वर्ष की सेवाऐं की गणना करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग से स्थानान्तरित होकर आय कार्मिको को शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग क्रमांक–प.18 (4) शिक्षा–5/98 दिनांक 06.02.1999 से स्पष्ट किया गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी से स्क्रीनिंग के बाद जारी आदेश की तिथि से नियमित नियुक्ति माने जाने के निर्देश है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 20.07.1987 को हुई थी, किन्तु पंचायती राज के परिपत्र दिनांक 06.04.1988 के अनुसार पंचायत/जिला परिषद में नियुक्त कार्मिको को जिला स्थापना समिति द्वारा चयन दिनांक 03.10.1988 से ही नियमित नियुक्ति मान्य है। अतः प्रथम नियुक्ति तिथी

20.07.1987 से दिये गये चयनित वेतनमान नियमानुसार वसूली योग्य है। अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान (27 वर्षीय) कार्मिक के नियमित नियुक्ति तिथि 03.10.1988 (स्थापना समिति द्वारा चयन दिनांक) से ही देय है। कार्मिक की तृतीय चयनित वेतनमान से पूर्व ही व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर पदौन्नति होने के कारण तृतीय एसीपी 27 वर्षीय देय नहीं होकर राजपत्रित पद के अनुरूप 10, 20 एवं 30 वर्षीय चयनित वेतनमान देय है। अपीलार्थी को निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के आदेश दिनांक 08.07.2020 द्वारा 30 वर्षीय एसीपी नियमानुसार स्वीकृत की जा चुकी है। कार्मिको को जिला स्थापना समिति द्वारा चयन दिनांक 03.10.1988 से ही नियमित नियुक्ति मान्य है।

4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया।

5. इस अपील में अपीलार्थी ने अपनी प्रथम नियुक्ति का आदेश दिनांक 20.07.1987 प्रस्तुत किया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थायी तौर पर 6 माह के लिये अथवा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक अथवा जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये की गयी थी। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थायी नियुक्ति थी। अपीलार्थी को जिला स्थापना समिति द्वारा चयन दिनांक 03.10.1988 से नियमित माना गया। अपीलार्थी चूंकि व्याख्याता हिन्दी के पद पर पदोन्नत हो चुका है, ऐसे में अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान राजपत्रित पद पर होने के आधार पर 27 वर्षीय के स्थान पर 30 वर्ष पर देय है।

6. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दूओं पर अपना निर्णय दिया है :–

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदूओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:–

> 37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.
>
> 38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.
>
> 39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.
>
> 40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.
>
> 41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

7. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में यह माना गया है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवा नियमित मानी जाएगी। अपीलार्थी की जो सेवाएं दिनांक 03.10.1988 को स्क्रींनिग के पश्चात नियमित की गई है, उसके पूर्व की सेवाएं अपीलार्थी ने तदर्थ (ad-hoc) आधार पर दी थी, जो सेवाएं अपीलार्थी चयनित वेतनमान के लाभ के लिए अपनी सेवा में नहीं जुड़वा सकता है।

8. उपरोक्त समस्त अपीलों में हम अपीलार्थीगण के इस तर्कों से सहमत नहीं है कि अपीलार्थीगण की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से की जाकर उन्हें चयनित वेतनमान का लाभ दिलाया जाए। परिणामस्वरूप समस्त अपीलों में कोई बल नहीं होने अपीलें खारिज की जाती है।
9. आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 1521/2016 में एवं आदेश की छाया प्रति तालिका में अंकित अन्य दो अपीलों में संलग्न की जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)